हिमाचल प्रदेश कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी, शिमला के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.13 से 31.3.14

भाग–एक

1 प्रारम्भिकः—

(क) अंकेक्षणाधीन अवधि में निम्नलिखित अधिकारी अकादमी के सचिव एवं आहरण व वितरण अधिकारी के रूप में कायरत रहे।

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	अवधि
1	श्री अशोक हंस	01.4.13 से 08.5.13
2	श्री डी0 के गुप्ता	09.5.13 से 08.1.14
3	श्री अरूण कुमार शर्मा	9.1.14 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः--

क्र0सं0	पैरा सं0	गम्भीर अनियमितताओं का सार	राशि लाखों में
1	7	उधार दी गई कैसटों तथा पुस्तको की वसूली न	0.66
		करना	
2	8	अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में से वकाया	16.98
		पुस्तकों का शेष पाया जाना	
3	9	पहाड़ी गीतों की कैसटा का स्टॉक में शेष पाया	1.97
		जाना	
4	10	ऐसोयरड केरियर प्रोग्रेरान स्कीय (ACP) 4.9.14 के	0.21
		अर्न्तगत वेतन का गलत निर्धारण के अन्तर्गत वेतन	
		का अधिक भुगतान करना	

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः-

अकादमी के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनिर्णीत अनुच्छेदों की समीक्षा वर्तमान अंकेक्षण के दौरान की गई तथा समीक्षा के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण **परिशिष्ट "A"** पर दिया गया है।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः—

हिमाचल प्रदेश कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी, शिमला के अवधि 1.4.2013 से 31. 3.2014 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है, श्री अनिल कुमार अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 18.2.15 से 10.3.15 के दौरान अकादमी के कार्यालय में किया गया। विस्तृत जॉच हेतु माह 9/13, व 3/14 का चयन किया गया।

वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अकादमी के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एव अभिलेखों के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई, की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता हैं।

3 लेखा परीक्षा शुल्कः-

हिमाचल प्रदेश कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी के अवधि 4/2013 से 3/2014 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹17000/—आँका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु इसे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला—9 को भेजने हेतु अनुभाग अधिकारी (ले0प0) की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 2 दिनांक 10.3.15 द्वारा सचिव, हिमाचल प्रदेश कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी शिमला—171002 से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः-

हिमाचल प्रदेश कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी द्वारा प्रस्तुत अकादमी की अंकेक्षणाधीन अवधि 1.4.13 से 31.3.14 की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार थी, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट "क–1"** पर भी संलग्न है।

ब्यौरा	अवधि 4/13 से 3/14
प्रारम्भिक शेष	48,88,467.90
वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	1918131200
योग	24069779.90
वर्ष के दौरान व्यय	15498223.00
अन्तशेष	8571556.90

दिनांक 31.3.14 को अन्तिम शेष

स्टेट बैंक ऑफ पटियाला खाता संख्या 550693859257577248.16यूको बैंक खाता संख्या 1555010003791786846.00हि0प्र0 कोओप्रेटिव बैंक खाता सं0 4350102910119165.00स्थाई निधि5000.00स्टेट बैंक ऑफ पटियाला खाता संख्या 55126075330 में जमा राशि65443.74(संस्कृति सदन हमीरपुर)योगयोग85,53,702.90

जमाः–

5

बैंक ड्राफ्ट सं0 663841 बैक खाता सं0 55069385925 में जमा करवाए गए **17854.00** थे परन्तु 31.3.14 तक खाते में जमा नहीं हुये **रोकड़ वही/वित्तीय स्थिति के अनुसार शेष 85,71,556.90**

संविधान की धाराओं की अनुपालना में कार्यकारी परिषद⁄सामान्य परिषद की वार्षिक बैठक न करवाना जाना व अकादमी के बजट का अनुमोदन न करवाया जानाः—

हिमाचल प्रदेश कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी के संविधान की धारा 18(B)(i) के अनुसार "The Executive Council shall ordinarily meet four times in a year.", धारा 18 A(1) के अनुसार "The meeting of the General Council shall ordinarily be held once in a year" और धारा 12 (iv) के अनुसार "General Council have to approve the annual budget of the Academy" | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अकादमी के वर्ष 2013–14 आय और व्यय का अनुमोदन करवा लिया गया था परन्तु सविंधान भी धारा 18 A(1) के अन्तर्गत General Council की बैठक नहीं हुई जिसमें एकादमी का वजट पारित करवाना था | वास्वव में General Council की बैठक नहीं हुई जिसमें एकादमी का वजट पारित करवाना था | उसक बाद कोई भी बैठक नहीं हुई और न ही अकादमी के बजट का अनुमोदन किया गया | इस प्रकार संविधान की अनुपालना में अकादमी का कार्य सुचारू रूप से चलाने हेतु संविधान के अनुसार गठित सामान्य परिषद की बैठक का न करवाया जाना तथा बजट का अनुमोदन न करवाया जाना अकादमी के संविधान की अवहेलना है | अतः यह मामला प्रदेश सरकार व अकादमी के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में लाया जाता है तथा परामर्श दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाए व की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए | अकादमी द्वारा हिमाचल प्रदेश की कला, संस्कृति एवं भाषा की कार्य योजनाओं हेतू बनाये नियमों के अनुसार पत्रिकाओं को तय निर्धारित सीमा में प्रकाशित न करवाकर वर्ष में एक वार ही प्रकाशित करवाने बारे--

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की कला, साहित्य, संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन तथा प्रदेश की संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतू हिमाचल प्रदेश कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी के गठन की अधिसूचना संख्या 8–9/71–एल० डब्लयू०पी०/(र्लग्वेज) दिनाँक 14 अप्रैल 1971 को जारी की गई तथा अकादमी के उद्धेश्यों की पूर्ति हेतू अकादमी की कार्यकारी परिषद द्वारा 28 मार्च 2005 तथा 22 नम्बर 2006 की बैठक में पारित अकादमी की योजनाओं के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक, सम्पदा और साहित्य को प्रकाश में लाने के उद्धेश्य से त्रैमासिक पत्रिका "सोमसी", पहाडी शषा की उन्नति व विकास के उद्धेश्य से अर्द्घवार्षिक पत्रिका "हिम भारती " तथा पहाडी एवं संस्कृति शषा में लेखको को प्रोत्साहित करने एवं संस्कृति शषा की उन्नति और विकास के उद्धेश्य से अर्द्ववार्षिक पत्रिका "श्यामला (संस्कृत) के प्रकाशन का निर्णय लेते हुये इन पत्रिकाओं का प्रकाशन आरम्भ किया गया। आकदमी द्वारा अंकेक्षण को परिशिष्ट "ख" पर उपलब्ध करवाई गई सूचना व इससे सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि अकादमी द्वारा वर्ष 2013 की "हिम भारती" तथा "सोमसी" पत्रिका वार्षिक आधार पर प्रकाशित की गई जबकि नियमानुसार यह पत्रिका त्रैमासिक आधार पर प्रकाशित की जानी थी यद्यपि इन पत्रिकाओं का प्रकाशन वार्षिक तौर पर करवाने बारे अनुमति सक्षम परीषद / अधिकारी से प्राप्त कर ली गई तब भी अकादमी द्वारा जो मूल नियम इन पत्रिकाओं को प्रकाशित करने बारे बनाए गए थे उनको ध्यान में नही रखा गया जिसस इन पत्रिकाओं का महत्व कम हो रहा है। अतः परामर्श दिया जाता है इन तीनो पत्रिकाओं को प्रकाशित करने हेतु जो मूल नियम बनाये गये थ उनके आधार पर ही इनको प्रकाशित करवाना सुनिश्चित किया जाए ताकि इन पत्रिकाओं की महत्वता बनी रहें। उक्त के अतिरिक्त अकादमी द्वारा बनाये गए नियमों के चैप्टर–। "पत्रिका प्रकाशन योजना नियम" के आधार पर इन प्रत्रिकाओं का प्रकाश्न 300 से 500 तक करने का प्रावधान रखा गया था जबकि वर्ष 1.4. 13 से 31.3.14 के दौरान मुद्रित करवायी पत्रिकाओं के अवलोकन पर पाया गया कि पत्रिकाओं को बेचने तथा अन्य को देने के उपरान्त भी काफी मात्रा में पत्रिकाए बच गई थी और यदि प्रत्येक वर्ष इतनी मात्रा में पत्रिकाए बच जाएं तो एकादमी को अनावश्यक ही नुकसान उठाना पडता है। अतः अकादमी को सुझाव दिया जाता है कि इन पत्रिकाओं का

6

प्रकाशन पूर्व वर्षों क विकय⁄खपत के आधार पर ही करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि वर्ष के अन्त में अनावश्यक ही पत्रिकाए शेष में न बचें।

7

उधार दी गई कैसटों तथा पुस्तकों की ₹0.66 लाख की वसूली न करनाः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अकादमी द्वारा ₹16178 की कैसटों तथा ₹49871 की पुस्तके विभिन्न व्यक्तियों को उधार सप्लाई की गई थी जिसका विवरण परिशिष्ट "ग-1 व ग-2" पर दिया गया है तथा इनकी वसूली हेतु कोई गम्भीर प्रयास नही किये गये प्रतीत होते है। उक्त परिशिष्ट में दी गई सूचना के अवलोकन पर पाया गया कि अकादमी द्वारा कई व्यक्तियों को यह कैसटें तथा पुस्तक अवधि 4/2001, 4/2003, 12/2004 तथा 1/2005 को उधार दी थी ओर जिसकी वसूली अभी तक नही की गई थी जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि अकादमी द्वारा उक्त राशि की वसूली हेतु गम्भीर नही है। अतः अकादमी द्वारा उक्त राशि की वसूली अभी तक न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए और इस ₹66049 की वसूली हेतु शीघ्र अपेक्षित कार्रवार्ह अमल में लायी जाये और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8

अकादमी द्वारा प्रकशित पुस्तकों में स ₹1698082/– की वकाया पुस्तकों का शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 वित्तिय नियम (भाग–I) की धारा 15.2 (I) के अनुसार किसी भी संस्था द्वारा उतनी ही सामग्री की खरीद करनी चाहिए जितनी अनिवार्य है ताकि सरकारी आय का अनियमित व्यय न हो। इसके साथ धारा 15.19 के अनुसार स्टोर में तय सामग्री से ज्यादा सामग्री नहीं होनो चाहिए। यदि स्टोर में Requirement से ज्यादा सामग्री को रखा जाता है और उसका उपयोग कई वर्षों से नही हो रहा हो तो इसे सरकारी राशि का अपव्यय माना जायेगा।

"Rule 15.2 of HPFR-I provides /stipulates that no material should be purchased in advance of actual requirement if such purchases are likely to prove unprofitable to Govt. Further rule 15.19 provides that the balances of store should not be held in excess of prescribed limit. The retention of store in excess of the probable requirement of the deptt. in the near future may result loss to the Govt. due to deterioration.

जाँच के दौरान पाया गया कि वर्ष 2012–13 में अकादमी के स्टोर में बिकय हेतु शेष पुस्तकों की मात्रा ₹1859041 के मूल्य के बराबर थी तथा परिशिष्ट–"घ" के अनुसार वर्ष

2013–14 के दौरान शेष पुस्तको की मात्रा ₹16,98082 के मूल्य बराबर थी जिसमें वर्ष 1994 से वर्ष 2012 तक छपवाई गई पुस्तकें भी है। लेखा परीक्षा को उपलब्ध करवायी गई है सूचनाओं एवं अभिलेखां से यह भी प्रतीत होता है कि अकादमी द्वारा प्रदेश सरकार से लाखों रूपये के अनुदान की राशि प्राप्त करके उससे हर वर्ष बहुमूल्य पुस्तके प्रकाशित तो करवाई जा रही ह परन्तु इन प्रस्तकों की बिकी हेतु अकादमी द्वारा कोई विशेष प्रयत्न न करने के कारण इनकी बिकी बहुत कम हुई है जिससे इन पुस्तकों के प्रकाशन का प्रयोजन ही समाप्त हो जाता है। अतः परामर्श दिया जाता है की स्टाक में पड़ी पुस्तको की बिकी हेतु विशेष प्रयास किए जाए ताकि पुस्तको का प्रयोजन सफल हो सके।

9 पहाड़ी गीतों की ₹196740 / – की कैसटों का स्टॉक में शेष पाया जानाः–

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि **परिशिष्ट "ड"** में दिए गए विवरणानुसार ₹196740/- की पहाड़ी गीतों की कैसटें स्टॉक में बकाया में थी। अकादमी द्वारा वर्ष 2010-11 में केवल ₹360/-के मूल्य की कैसटों की बिक्री की गई थी तथा गत तीन वर्षों में किसी भी कैसट की बिक्री नहीं हुई है जिससे यह स्पष्ट होता है कि विभाग द्वारा इनकी बिक्री हेतु कोई विशेष प्रयत्न नहीं किए गए है। अतः यह मामला विशेष रूप से उच्च अधिकारियों के ध्यान में इस आशय से लाया जाता है कि इन कैसटो का जो स्टॉक वकाया है और अभी तक उनको वेचा नही गया है, उनकी संस्था द्वारा अपने स्तर जाँच की जाए तथा यदि अकादमी को इससे नुकसान हुआ है तो उसका ऑकलन करके इसकी भरपाई उचित स्त्रोत से की जाये और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 एश्योरड कैरियर प्रोगेशन स्कीय ACP (4.9.14) के अन्तर्गत कर्मचारी का गलत वेतन निर्धारित करके ₹21901 का अधिक भुगतान करनाः—

हि0प्र0 के सरकारी कर्मचारियों क लिए दिनाँक 27.8.09 से (4.9.14) की सेवाकाल के उपरान्त नई एश्योरड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम लागू की गई थी तथा हि0प्र0 वित्त विभाग (वेतन संशोधन) के पत्र सं0 Fin(PR) B (7) 59/2010 दिनाँक 9.8.12 के अनुसार नई एश्योरड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीय (4.9.14) के अन्तर्गत दिनाँक 27.8.2009 के पैरा 3(g) में यह वर्णित किया गया है कि " an employee who has completed 24 years of service in a cadre and has already availed benefit of one placement in the higher pay scale in the hierarchy of pay scales and two proficienciy step-ups under ACP scheme after 8, 18/16,24 years of service, he shall only be allowed two placements in the next higher grade pay in the hierarchy of grade pays without any benefit of increment as he has already availed benefit of three increments i.e. one on placement and two proficiency stepups under the existing schemes." जबकि अकादमी के कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं में वेतन के निर्धारण की प्रविष्टया की जाँच पर पाया गया कि श्रीमती शीला देवी, सफाई कर्मचारी को (8.16.24) के सेवाकाल में 8–18/16, 24–32 "Assured carrier progression scheme" क अन्तर्गत दिनाँक 23.2.1993, 3.3.2000 तथा 3.3.2008 को 3 वेतन वृद्धियाँ दी गई थी और नई Assured Carrier progression scheme (4-9-14) में दिनाँक 27.8.09 को उक्त कर्मचारी का वेतन निर्धारित करते समय उन्हें दो वेतनमान तथा एक वेतन वृद्धि दी गई जो कि अनियमित थी। अतः कर्मचारी को एक वेतन वद्धि अधिक देने के फलस्वरूप उनको **परि⊡ाष्ट "च"** पर दिए गए विवरणानुसार **रै**21901 का अधिक भगतान किया गया प्रतीत होता है जिसकी संस्था पर जाँच करके अपेक्षित राशि की वसूली सम्बन्धित से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत की जाए।

11 लघ् आपत्ति विवरणिकाः— यह अलग से जारी नहीं की गई।

12 निष्कर्षः- लेखों के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / –

उप निदेशक ्स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग

हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः 1—269 ∕ 74 —फिन(एल०ए०)खण्ड—17—3534—3537 दिनांक 19.06.2015, शिमला—171009

पंजीकृत प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :--

- सचिव, हि0प्र0 कला संस्कृति भाषा अकादमी शिमला–171001 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।
- 2. निदेशक, हि0प्र0 भाषा एवं संस्कृति विभाग शिमला–9
- 3. विशेष सचिव (भाषा एवं संस्कृति) हि0प्र0 सरकार शिमला–171002
- 4. श्री अनिल कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा.....

हस्ता/– उप निदेशक

परिशिष्ट "A" पैरा संख्या 1(ग)

स्थितिः- (क) अंव क०संव	- ठेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4 /) पैरा सं0 पैरे	रे की स्थिति
1 (ख) अ	7 ांकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4,	अनिर्णीत / 1993 से 3 / 1994
(ci) s 1	25	अनिर्णीत
I	20	GITTAIC
(ग) अंव	ठेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4∕	1994 से 3/1995
1	6	अनिर्णीत
(घ) अंब	केक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/	1995 से 3/1996
1	6	अनिर्णीत
2	19	अनिर्णीत
(ङ) अंव	केक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/	1996 से 3/1997
1	6	अनिर्णीत
2	23, (1,2,3,4,5)	अनिर्णीत
3	28	अनिर्णीत
4	28 (1,4)	अनिर्णीत
5	37 (1 से 4)	अनिर्णीत
6	38 (2)	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1997 से 3/1998

1	7 (ख)	अनिर्णीत
2	15	अनिर्णीत
3	16	अनिर्णीत
4	17	अनिर्णीत
5	19	अनिर्णीत
6	22	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1998 से 3/1999

1	11	अनिर्णीत
2	12	आंशिक निर्णीत
3	23	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1999 से 3/2001

1	27 (क, ख)	अनिर्णीत
2	27 (घ)	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2001 से 3/2002

1	4 (ग)	अनिर्णीत
2	13	अनिर्णीत
3	16 (क,ख,ग)	अनिर्णीत
4	17	अनिर्णीत
5	18 (ख)	अनिर्णीत
6	23 (क,ख,ग)	अनिर्णीत
7	24	अनिर्णीत

(ञ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2003 1 14 अनिर्णीत

2	15	अनिर्णीत
3	28	अनिर्णीत
4	30	अनिर्णीत

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2003 से 3/2004

1	16	अनिर्णीत
2	18	अनिर्णीत
3	21	अनिर्णीत
4	22	अनिर्णीत

(ठ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2005

1	11	अनिर्णीत
2	15	अनिर्णीत
3	16	अनिर्णीत

(ढ.) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2006

1	7	अनिर्णीत
2	14	अनिर्णीत
3	16	अनिर्णीत
4	19	अनिर्णीत

(ण) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2007

1	19	अनिर्णीत
2	21	अनिर्णीत
3	22	अनिर्णीत
4	26	अनिर्णीत

(त) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2008

1	7	अनिर्णीत	
2	9	अनिर्णीत	
3	11	अनिर्णीत	
4	12	अनिर्णीत	
(थ)	अंकेक्षण प्रतिवेदन	गवधि 4/2008 से 3/2009	
1	9	अनिर्णीत	
2	10	अनिर्णीत	
3	12	अनिर्णीत	
4	15	अनिर्णीत	
5	19	निर्णीत (सेवा समिति से कायात्तर स्वीकृति दिनाँक	31.
		07.12 हुई बैठक में प्राप्त की जि	सके
		अवलोकन करने के उपरान्त पैरा निर्णीत)	
6	20	अनिर्णीत	
(द)	अंकेक्षण प्रतिवेदन	विधि 4/2009 से 3/2010	
1	6	आंशिक निर्णीत (क्योंकि ₹830000 में से ₹480000	का
1	6	आंशिक निर्णीत (क्योंकि ₹830000 में से ₹480000 उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण को प्रस	
1	6		तुत
1	6	उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण को प्रस	तुत 228
1	6	उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण को प्रस किया गया तथा शेष ₹350000 में से ₹842	तुत 228 या ।
1	6	उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण को प्रस किया गया तथा शेष ₹350000 में से ₹842 का व्यय अंकेक्षण समाप्ति तक किया गर	तुत 228 या । .श्य
1	6	उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण को प्रस किया गया तथा शेष ₹350000 में से ₹842 का व्यय अंकेक्षण समाप्ति तक किया ग अतः बकाया शेष ₹265772 या तो उसी उद्धे	तुत 228 या । श्य जेस
1	6	उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण को प्रस किया गया तथा शेष ₹350000 में से ₹842 का व्यय अंकेक्षण समाप्ति तक किया गर अतः बकाया शेष ₹265772 या तो उसी उद्धे हेतु व्यय की जानी सुनिश्चित की जाए जि	तुत 228 या । श्य जेस इस
1	6	उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण को प्रस किया गया तथा शेष ₹350000 में से ₹842 का व्यय अंकेक्षण समाप्ति तक किया ग अतः बकाया शेष ₹265772 या तो उसी उद्धे हेतु व्यय की जानी सुनिश्चित की जाए जि प्रयोजन हेतु यह प्राप्त हुई थी अन्यथा व	तुत 228 या । श्य जेस इस पेस
1	6	उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण को प्रस किया गया तथा शेष ₹350000 में से ₹842 का व्यय अंकेक्षण समाप्ति तक किया ग अतः बकाया शेष ₹265772 या तो उसी उद्धे हेतु व्यय की जानी सुनिश्चित की जाए जि प्रयोजन हेतु यह प्राप्त हुई थी अन्यथा राशि को भाषा एवं संस्कृति विभाग को वा	तुत 228 या । श्य जेस इस पेस में
1	6	उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण को प्रस किया गया तथा शेष ₹350000 में से ₹842 का व्यय अंकेक्षण समाप्ति तक किया ग अतः बकाया शेष ₹265772 या तो उसी उद्धे हेतु व्यय की जानी सुनिश्चित की जाए दि प्रयोजन हेतु यह प्राप्त हुई थी अन्यथा राशि को भाषा एवं संस्कृति विभाग को वा लौटाया जाए तथा इन दोनों अवस्थाओं	तुत 228 या । श्य जेस इस पेस में
1	6	उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण को प्रस किया गया तथा शेष ₹350000 में से ₹842 का व्यय अंकेक्षण समाप्ति तक किया गर अतः बकाया शेष ₹265772 या तो उसी उद्धे हेतु व्यय की जानी सुनिश्चित की जाए जि प्रयोजन हेतु यह प्राप्त हुई थी अन्यथा राशि को भाषा एवं संस्कृति विभाग को वा लौटाया जाए तथा इन दोनों अवस्थाओं उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण को यथापे	तुत 228 या । श्य जेस इस पेस में
		उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण को प्रस किया गया तथा शेष ₹350000 में से ₹842 का व्यय अंकेक्षण समाप्ति तक किया गर अतः बकाया शेष ₹265772 या तो उसी उद्धे हेतु व्यय की जानी सुनिश्चित की जाए जि प्रयोजन हेतु यह प्राप्त हुई थी अन्यथा द राशि को भाषा एवं संस्कृति विभाग को वा लौटाया जाए तथा इन दोनों अवस्थाओं उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण को यथापे प्रिस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए)	तुत 228 या । श्य जेस इस पेस में

5	12	अनिर्णीत	
6	16	आंशिक निर्णीत	(क्योंकि प्रकाशन एवं कैसेटस से अतिरिक्त
			अन्य वस्तुओं के स्टॉक सत्यापन की पुष्टि तो
			अंकेक्षण से करवा ली गई है। अतः प्रकाशन
			एवं कैसेटस का स्टॉक सत्यापन भी करवाने के
			अतिरिक्त भविष्य में सभी स्टॉक वस्तुओं का
			स्टॉक सत्यापन नियमानुसार प्रतिवर्ष करवाया
			जाना सुनिश्चित किया जाए)

(ध) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2011

1	8 (क)(ख)(ग)	अनिर्णीत
2	12	अनिर्णीत
3	18	अनिर्णीत
4	19	अनिर्णीत
5	20	अनिर्णीत

(न) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2013

1	3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क की ₹19200 बैक ड्राफ्ट सं0 778874
			दिनाँक 1.3.14 द्वारा विभाग को भेजी गई)
2	4	निर्णीत	(वित्तीय स्थिति से सम्बन्धित नवीनतम स्थिति वर्तमान
			अंकेक्षण में दर्शाई गई है)
3	5	निर्णीत	(अकादमी द्वारा दिये उत्तर के अवलोकन के उपरान्त
			तथा इससे सम्बन्धित नवीनतम स्थिति वर्तमान
			अंकेक्षण में देने पर)
4	6	निर्णीत	(अकादमी द्वारा दिये उत्तर तथा कार्योत्तर स्वीकृति
			जो अध्यक्ष महोदय से प्राप्त कर ली और वितीय
			शक्तियों क सशोधन से सम्बन्धित नस्ति का
			अवलोकन करने के उपरान्त)
5	7	अनिर्णीत	
6	8	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में दी गई है)

7	9	अनिर्णीत	
8	10	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में दी गई है)
9	11	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में दी गई है)
10	12	अनिर्णीत	
11	13	निर्णीत	(सम्बन्धित कर्मचारी से वसूली उनके वेतन अवधि
			4 / 14 से 3 / 15 में से की)
12	14	आंशिक निर्णीत	(₹4500 की वसूली वेतन माह 7/14 से 3/15
			तक कर ली गई आर वकाया राशि की गणना करके
			उसकी भी वसूली करनी सुनिश्चित की जाए)
13	15	निर्णीत	(₹218 की वसूली श्री नरेन्द्र शर्मा अधिक्षक ग्रेड–I में
			वेतन माह 3 / 14 paid in 4 / 14 से कर ली गई)
14	16	निर्णीत	(श्री सुभाष कौशल स ₹102, श्री देव राज सन्सालवी
			से ₹156 तथा श्री नरेन्द्र शर्मा से ₹350 की वसूली
			के सत्यापन उपरान्त तथा श्री सौरभ वशिष्ठ लिपिक
			से सम्बन्धित पैरे के सटिप्पण उत्तर के आधार पर
			पैरा निर्णीत किया गया)
15	17	अनिर्णीत	
16	18	निर्णीत	(श्री करम सिंह से ₹57, श्री देव राज से ₹57, श्री
			सुभाष कौराल से ₹152 तथा श्री अशोक हंस से
			₹134 की वसूली का सत्यापन करने के उपरान्त
			पैरा निर्णीत किया गया)
17	19	निर्णीत	(अकादमी द्वारा दिये गये उत्तर, जिसमें उन्होने वाहन
			की औसत को justified किया क्योंकि वाहन
			लगभग 16 साल पुराना था तथा जिसकी निलामी
			माह 2⁄15 में कर दी)
18	20 (क)	निर्णीत	(श्री रती राम चौकिदार को ₹759 के अधिक भुगतान
			का समायोजन उनके संशोधन वेतन के निर्धारण से
			करने के उपरान्त तथा अर्जित अवकाश के वकाया

			भुगतान से करने की सत्यापना उपरान्त पैरा निर्णीत)
19	20 (ख)	निर्णीत	(₹480 की वसूली फर्म से विल सं0 269 दिनाँक
			23.5.04 के भुगतान से की गई जिसकी सत्यापना
			करने के उपरान्त पैरा निर्णीत किया गया)
20	20 (ग)	अनिर्णीत	
21	20 (घ)	निर्णीत	(खर्चो को सही मद में डाल देने से सम्बन्धित
			अकादमी से उत्तर के आधार पर)
22	20 (ड़)	निर्णीत	(अकादमी द्वारा पैरे के निपटारे के सन्दर्भ में उत्तर
			के अनुसार स्टोर रजिस्टर में जो पहले के हीटर थे
			वे अकादमी द्वारा बनाई गई कमेटी द्वारा Candom
			कर दिये गये तथा जिसकी निलामी भी कर दी गई,
			जिसके सत्यापन के उपरान्त पैरा निर्णीत किया
			गया)
23	20 (च)	निर्णीत	परिषद की बैठक दिनाँक 16.12.14 को मद सं0 33
			(1) में प्रशासनिक स्वीकृति ले ली गई थी और
			इसकी स्वीकृति सचिव अकादमी ने नस्ति सं0
			क0–40/12–13 टि0 240 पर दिनाँक 28.3.13 को
			प्राप्त की गई थी जिसके अवलोकन के उपरान्त पैरा
			निर्णीत किया गया)